

# कापेलिप नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/नियुक्ति/नि-2/शिक्षक भर्ती-18/ले.प्रथम व द्वितीय/2018 दिनांक :- 21/8/2019  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(मुख्यालय)प्रारम्भिक शिक्षा,  
समस्त।

**विषय:-** राजस्थान प्रारम्भिक और उच्च प्रारम्भिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के अधीन राजकीय सेवा में नव चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति/पदस्थापन से पूर्व चरित्र/पुलिस सत्यापन अनिवार्य है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 (1) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यापक पद पर नियोजित नहीं किया जा सकता है जो अच्छे चरित्र का नहीं है या किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अदमता अन्तर्वलित है, उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत जारी विज्ञप्तियों में भी नियुक्त हेतु निरहताएं निर्धारित की गई है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के द्वारा राजकीय सेवा में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में नियुक्त अधिकारियों के सामान्य मार्गदर्शनार्थ निर्देशन के रूप में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस एल पी संख्या 20525/2011 अवतार सिंह बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2016 तथा सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 में आपराधिक प्रकरणों से संबंधित मामलों के संबंध में विस्तृत सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(5)कार्मिक/(क-2)/2017 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा नियुक्ति से पूर्व पुलिस सत्यापन के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार नियुक्त अधिकारी द्वारा 6 महीने तक पुलिस सत्यापन के अभाव में अभ्यर्थी से स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति दी जा सकती है एवं स्व-प्रमाणित शपथ पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने/सजायापा होने इत्यादि के संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में यह शिकायतों प्राप्त हुई है कि कठिपय नियुक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं तथा संबंधित माननीय न्यायालय में चालान/चार्जशीट भी पेश की हुई हैं इसके बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थियों को अध्यापक पद पर नियुक्तियां दी गई हैं जो नियमानुसार सही नहीं हैं। अतः कार्मिक विभाग को उक्त परिपत्रों की प्रतियां संलग्न कर लेख है कि शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों जिनके द्वारा चरित्र/पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया/नहीं किया है उनके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे—

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र में अभ्यर्थियों के विरुद्ध आई.पी.सी की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है अथवा अभ्यर्थी आपराधिक प्रकरणों में सजायापा रहा है, तो प्रत्येक प्रकरण का कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के अनुसार परीक्षण करे एवं परीक्षणोंपरान्त अभ्यर्थी यदि नियुक्त हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए सकाम स्तर से उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही करावे।
- जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 के अनुसार स्व-प्रमाणित शपथ पत्र के अनुसार नियुक्ति प्राप्त की है तो ऐसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर अभी तक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करे तथा यदि अभ्यर्थी द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर रखा है एवं संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभी तक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जारी नहीं

कार्यालय का पता— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, सर्वी निवास पैलेस के पास, लालगढ़ रोड, बीकानेर


विभागीय वेबसाइट— [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary) ई-मेल:—niyukti.ele@gmail.com

फ़ोनमान्तर— 0151—22265561, 22265553

किया है तो संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को पूर्ण तथ्यों सहित पत्र प्रेषित कर तत्काल चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो संबंधित अभ्यर्थी को 30 दिवस के भीतर पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करें। यदि उक्त अवधि के बाद भी अभ्यर्थी यदि पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करावे।

शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति से पूर्व चरित्र/पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र के संबंध में प्रकरणों का 01 माह में उक्तानुसार निस्तारण करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को अनिवार्यतः भिजायेंगे कि “उनके जिले में उक्त भर्ती अन्तर्गत नव नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के द्वारा चरित्र/पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2018 एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हैं।”


  
ओम करसरा  
(IAS)

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)  
राजस्थान बीकानेर।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही संपादित करवाना सुनिश्चित करावे।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर/जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
ओम करसरा  
(IAS)

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)  
राजस्थान बीकानेर।